राजस्थान सरकार
राजस्व पर्यावरण विभाग

क्रमांक :- एफ॰ ॥ पर्यावरण/85

दिनांक :- 5 अक्टूबर, 1985

-: अधिसूचना :-

अतः राज्य सरकार को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न उपलब्ध में परिनिश्चत क्षेत्र का उसमें पाये जाने वाले वन जीवों के संरक्षण प्रवारण एवं उनके विकास पर्यावरण के प्रयोजनार्थ उसके परिस्थिति प्राणी जातीय वनस्पति में संरक्षण तथा प्राणी विज्ञान सम्बन्धी सहयोजना और महत्व के कारण वन जीव अभ्यारण योजना गठित करने की आवश्यकता है।

अतः वन्यजीव ॥ संरक्षण ॥ अधिनियम 1972 ॥ 1972 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 53 की धारा 18 ॥ 1 ॥ के अधीन प्रदत्तशक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार निम्न अनुसूचि में वर्णित सीमाओं के अन्तर्गत आने वाली भूमि का अभ्यारण घोषित करने में अपने आशय की घोषणा करती है। जिसे भविष्य में बाँध बारैठा के नाम से जाना जावेगा।

अनुसूचि

क्र.सं.	क्षेत्र	नाम तहसील जिला	सीमाऐं	विशेष विवरण
1.	वन्यजीव अभ्यारण बाँध बारैठा	बयाना भरतपुर	उत्तर	वनखण्ड नहरौली, खेरी डांग, सुखाशीला, एवम् वंशीपहाडपुर, वनखण्डों की सीमाऐं।
			पूर्व	वनखण्ड सुखाशीला, वंशी पहाडपुर बराहकोट एवं बाजनाकी वन खण्ड सीमा।
			दक्षिण	वनखण्ड बाजना की वनखण्ड सीमा।
			पश्चिम	वनखण्ड नहरौली, शाहपुर, दरवराहना एवं बाजना की वनखण्ड सीमाऐं।

नोट :- उक्त क्षेत्र में पूरा बाँधबारैठा शामिल किया गया है। इन सीमाओं के बीच पडने वाला राजस्व क्षेत्र अभ्यारण में शामिल नही रहेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

ह0
॥ एस0 के0 शर्मा ॥
उपशासन सचिव
पर्यावरण विभाग

...

वन विभाग (क)

विज्ञप्तियां

जयपुर, जनवरी 24, 2002

संख्या एफ. 2/2 /वन/99:— चूंकि निम्नलिखित अनुसूची में दिखलाई गई वन-भूमि सरकार की सम्पत्ति है अथवा उसमें ... सम्पत्ति है अथवा सरकार उसकी सम्पूर्ण वन-उपज या उसके किसी अंश की स्वत्वधारी (Entitled) है;

और चूंकि सरकार पूर्वोक्त वन-भूमि तथा बंजर-भूमि को राजस्थान वन अधिनियम, 1953 की धारा 29 की उप-धारा (1) के ... रक्षित वन (Protected Forest) घोषित करने का विचार रखती है;

और चूंकि पूर्वोक्त भूमि में अथवा उस पर सरकार और प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार और सीमा तथा स्वरूप अभी तक ... प्रकार अभिलेखन नहीं किया गया है;

और चूंकि सरकार यह भी विचार रखती है कि पूर्वोक्त वन-भूमि अथवा बन्जर-भूमि में अथवा उस पर सरकार अथवा प्राइवेट ... व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार और सीमा तथा स्वरूप के विषय में जांच करवाना और उनका अभिलेखन कराया जाना आवश्यक है, परन्तु ... कार्य में इतना अधिक समय लग जायेगा कि जिसके बीच में सरकार के अधिकारों को क्षति पहुंचने की आशंका है।

अतः अब राजस्थान वन अधिनियम, 1953 (1953 का अधिनियम संख्या 13) की धारा 29 की उप धारा (3) के द्वारा प्रदत्त ... प्रयोग में सरकार एतद्द्वारा वन बन्दोबस्त अधिकारी/सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी को पूर्वोक्त वन-भूमि अथवा बन्जर-भूमि ... में या उस पर सरकारी या प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों की जांच तथा अभिलेखन करने के लिए नियुक्त करती है और ऐसी जांच या अभिलेखन, जहां तक व्यवहार्य हो उपर्युक्त अधिनियम की धारा 6, 7, 8, 10, 11, (1) 12, 14, 17, 18 और 19 में प्रावधित विधि के अनुसार ही किया जावेगा;

और उपर्युक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (3) के परन्तुक (Proviso) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेसर अनुसरण में सरकार पूर्वोक्त जांच और अभिलेखन होने तक एतद्द्वारा कथित वन-भूमि और बन्जर-भूमि को संरक्षित वन (Protected Forest) घोषित करती है, परन्तु इससे व्यक्तियों अथवा वर्गों के वर्तमान अधिकारों में कमी नहीं होगी और न उन पर कोई प्रभाव पड़ेगा;

और उसकी धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में यह भी घोषणा करती है कि इसके साथ संलग्न द्वितीय अनुसूची में दिखाये गये कथित रक्षित वन में स्थित वृक्ष इस विज्ञप्ति के राज-पत्र में प्रकाशित होने की तारीख से आरक्षित किये जाते हैं और पूर्वोक्त ... व कथित वन में सरकार किसी खदान में पत्थर निकालना या चूना या कोयला जलाना या किसी वन उपज का संग्रह किया जाना ... किसी निर्माण प्रक्रिया या साधन बनाया जाना और कथित वन में किसी भूमि को कृषि के लिए या मकान बनाने के लिए या पशु पालन के लिए अथवा किसी अन्य प्रयोजन के लिए तोड़ा जाना, साफ किया जाना निषिद्ध करती है।

प्रथम अनुसूची

(वन-भूमि और बन्जर-भूमि)

संख्या	नाम ब्लॉक	नाम तहसील	नाम जिला	सीमा	विवरण आराजी नं. रकबा
1	2	3	4	5	6
1.	बंशी पहाड़पुर 'ब'	रूपवास	भरतपुर	उत्तर-रेलवे लाइन आगरा कोटा दक्षिण-निठारी ग्राम पूर्व नगला खार पश्चिम-रिठनिया निर्दिष्ट ग्राम की सीमाएं	पहाड़पुर ग्राम के खसरा नम्बर $\frac{2261}{1011}$ $\frac{2333}{2471}$) रकबा $\frac{2348 \text{ मि.}}{130}$ $\frac{2374}{711}$) शामिल है

द्वितीय अनुसूची

पेड़ों की सूची

संख्या	बॉटेनिकल नाम	हिन्दी नाम
1	2	3
1.	Anogeissus pendula wall	धोंकड़ा, धौ, बक्ली, धोक
2.	Anogeissus latifolia wall	धावड़ा, गोलेड़ा, धौ, गोर धोक
3.	Aegle marmelos, Correa	बेल
4.	Azadirachta indica, A Juss	नीम
5.	Acacia arbica willd	बबूल
6.	Acacia catechu, willd	खैर
7.	Acacia jaquemonti	बांली
8.	Acacia senegal	कुमटा
9.	Acacia leucophloea	रोंझड़ा, सफेद खैर
10.	Adina cordifolia, Hook	हल्दू
11.	Albizza lebbek, Benth	काला सिरस

1	2	3
29.	Cordia rothi	गुंदी
30.	Calligonum polygonoides	फोग
31.	Cassia auriculata	आंवल
32.	Cassia fistula Linn	अमलतास
33.	Celastrus peniculata, willd.	मालकांगनी
34.	Chloroxylon swietenia.	घिरी
35.	Dipopyros melanoxylon, Rech.	तेंदू-टेमरू
36.	Diospyros to mentosa, Roxb.	बिस तेंदू, कड़वा टेमरू
37.	Dalbergia sissoo, Roxb.	शीशम
38.	Dalbergia paiculata.	पौसन, ससपुड़ा
39.	Dendrocalamus strictus, ness.	पतला बांस
40.	Eugapia jambolana, Lan.	जामन
41.	Eugenia operculta, Roxb.	जामन
42.	Ficus religiosa, Linn.	पीपल
43.	Ficus bengalenis, Linn.	बड़
44.	Ficus cunia, Ham.	पाखर
45.	Ficus glomerata, Roxb.	गूलर
46.	Ficus infectoria, Roxb.	पाखर
47.	Flacoutilla fomantchi, L' Herit.	[illegible] (कंटाई)
48.	Grewia asiatic, Royle.	धामन
49.	Grewia hirsuta, Vahl.	गुद शकरी
50.	Holanhena antidysenterica, Wall.	[illegible]
51.	Holo ptelia intergr folia, Planch.	[illegible]
52.	Rydia celveina, roxb.	[illegible]
53.	Lannea grandis, Engl.	[illegible]
54.	Leger troemia Pariflora, Linn.	[illegible]
55.	Leptadenia Reneulata Wight & Arn	खींप
56.	areisa azed rach, Linn.	बकायन
57.	Mimusops hexandra, Roxb.	खिरनी, [illegible]
58.	Moringa pteryogosperma Gaertn.	सैंजना
59.	Mourzalba, Linn.	शहतूत
60.	Mangifera indica, Linn.	आम
61.	Miliusa velutina, H. F. & Th.	[illegible]
62.	Nyctanthes arbotristis, Linn.	हार सिंगार
63.	Ougenia dalbergiodies Benth.	तिनस
64.	Prsopis spicigera	खेजड़ा
65.	Prosopis juliflera	विलायती खेजड़ा
66.	Prhoenis sylvestris, Trip.	खजूर
67.	Pterocarpus marsuprum.	बी. साल
68.	Phyllanthus embica, Linn.	आंवला
69.	Pongamia glabra	करंज
70.	Stebegyne parviflora, Korth.	कलम, कदम
71.	Soymida febrifuga.	रोहन
72.	Santalum album, Linn.	चंदन
73.	Dacopetelum tementosum.	[illegible]
74.	Stercul urens.	[illegible]
75.	Scnlerchera oleteriodes	[illegible]

[illegible] आंशिक [illegible] अनुसूची में [illegible] द्वितीय अनुसूची में और [illegible] द्वारा [illegible] तारीख से [illegible] किये जाते हैं और पूर्वोक्त दिखाये गये कथित रक्षित वन में स्थित वृक्ष इस [illegible] वृक्ष का संग्रह किया जाना तारीख व रक्षित वन में [illegible] किसी [illegible] में किसी भूमि [illegible] के लिए, या पशु पालन के किसी निर्माण प्रक्रिया या [illegible] बनाया जाना और [illegible] लिए अथवा किसी अन्य प्रयोजन के लिए तोड़ा जाना, [illegible] किया जाना निषिद्ध [illegible]

प्रथम अनुसूची

(वन भूमि और बन्जर भूमि)

संख्या	नाम रक्षित	नाम तहसील	नाम जिला	सीमा	विवरण- आराजी नं. रकबा
1	2	3	4	5	6
1.	रक्षित पहाड़पुर "अ"	रूपवास	भरतपुर	उत्तर- अटमागी, रामपुरा ग्राम की सीमायें दक्षिण- रेलवे लाइन (आगरा-कोटा) पूर्व- पहाड़पुर ग्राम की सीमायें पश्चिम- महलपुरचूरा ग्राम की सीमायें	ग्राम पहाड़पुर के खसरा नम्बर 2208, 2215 रकबा 1314.1)2 221)2 2219 2220 30 1 1)1, 1 1)4

द्वितीय अनुसूची

पेड़ों की सूची

संख्या	बोटेनिकल नाम	हिन्दी नाम
1	2	3
1.	Anogeissus pendula wall	धोकड़ा, धौ, कलमी, धोक
2.	Anogeissus latifolia wall	धावड़ा, सफेद धौ, गोर धोक
3.	Aegle marmelos, Correa	बेल
4.	Azadirachta indica, A Juss	नीम
5.	Acacia arbica willd	[illegible]
6.	Acacia catechu, willd	बाँली
7.	Acacia jaquemonti	कुमठा
8.	Acacia senegal	छोंकड़ा, सफेद खैर
9.	Acacia leucophloea	हल्दू
10.	Adina cordifolia, Hook	काला सिरस
11.	Albizza lebbek, Benth	सफेद सिरस
12.	Albizza procora, Benth	चीनोला
13.	Albizza odoratissima, Benth	सीताफल
14.	Apona squamosa	आकोला
15.	AlÜngium lamarckii, Thw.	महुआ
16.	Bassia latifolia, Roxb.	चार, चिरोंजी
17.	Buchanania latifolia, Roxb	आमड़ा (सोना)
18.	Bauhinia retusa, Ham	झींझा, खाडुआ
19.	Bauhinia malabarica, Roxb	कचनार
20.	Bauhinia purpuera, Linn	कचनार
21.	Bauhinia variegata, Linn	सालड़, सालर
22.	Boswellia serrata	कमई
23.	Bridelia retusa, Spreng	हींगोट
24.	Balanites roxburg lii, Roxb.	सेमल
25.	Bombax malabaricum, D. C. (Salmalia malabarica, Roxb)	पलास, खाखरा, छीला
26.	Bulea frondosa, Koenig.	कटंग, बांस
27.	Bambuss arundinacea, Koenig	लसोड़ा
28.	Cordia myxa, Linn.	

	Moursalba, Linn.	शहतूत मेमूल
59.	Mangifera indica, Linn.	आम
60.	Miliusa velutina, H. F. & Th.	डोंम, गाल, कारी
61.	Nyctanthes arbotristis, Linn.	हार सिंगार
62.	Ougenia dalbergiodies Benth.	तिनस
63.	Prsopis spicigera.	खेजड़ा
64.	Prosopis juliflora,	विलायती खेजड़ा
65.	Prloenis-sylvestris. Trip.	खजू
66.	Pterocar us mar uprum.	बी, साल
67.	Phyllanthus embica, Linn.	आंवला
68.	Pongamia glabra.	करंज
69.	Stehegyne parviflora, Korth.	कलम, कलम
70.	Soymida febrifuga.	रोहन
71.	Santalum album, Linn.	चंदन
72.	Sacopetelum tomentosum.	कुम, ऊमिया
73.	Stercunl ureys.	कड़ाया कुलू
74.	Scnlerchera swteteteniodes	भोखा
75.	Schleicher trijuga,	कुसुम
76.	Salvadora olijoides.	पीलू
77.	Salvadora peseca	जाल
78.	Termalia tomentosa, W.&A.	सादड़, साज
79.	Terminalia, Bedd.	अर्जुन, काहड़ा,
80.	Terminalia belerica, Roxb,	बहेड़ा
81.	Tecoma undulata.	रोहेडा
82.	Tectona grandis, Linn.	सागवान
83.	Tamarindus indica, Linn.	इमली
84.	Tamaris doica, Roxb.	फरास
85.	Wrightia tinctoria.	दूधी
86.	Zizyphus jujuba, Lam.	बेर
87.	Zizyphus xylopyra, willd.	घोंट
88.		

जयपुर, जनवरी 24, 2002

संख्या एफ. 2/2 /वन/99:— चूंकि इसके साथ संलग्न प्रथम अनुसूची में दिखलाई गई वन-भूमि अथवा बन्जर-भूमि सरकार की सम्पत्ति है या उसमें सरकार स्वामित्वाधिकार रखती है अथवा सरकार उसकी सम्पूर्ण वन उपज या उसके किसी भाग की हकदार है।

और चूंकि सरकार पूर्वोक्त वन-भूमि को राजस्थान वन अधिनियम, 1953 की धारा 29 की उप-धारा (1) के अधीन रक्षित वन घोषित करने का विचार रखती है;

और चूंकि पूर्वोक्तभूमि में अथवा उस पर सरकार और प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार और सीमा का अभी तक किसी प्रकार अभिलेखन नहीं किया गया है;

और चूंकि सरकार यह भी सोचती है कि पूर्वोक्त वन-भूमि अथवा बन्जर-भूमि में अथवा उस पर सरकार अथवा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार और सीमा के विषय में जांच करवाना और उनका अभिलेखन कराया जाना आवश्यक है, परन्तु इस कार्य में इतना अधिक समय लग जावेगा कि जिसके बीच में सरकार के अधिकारों को क्षति पहुंचने की आशंका है।

अत: अब राजस्थान वन अधिनियम, 1953 (1953 का अधिनियम संख्या 13) की धारा 29 की उप-धारा (3) केद्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में सरकार एतद्द्वारा वन बन्दोबस्त अधिकारी/सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी को पूर्वोक्त वन-भूमि अथवा बन्जर-भूमि में या उस पर सरकारी या प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों की जांच तथा अभिलेखन करने के लिए नियुक्त करती है और ऐसी जांच या अभिलेखन, जहां तक व्यवहार्य हो उपर्युक्त अधिनियम की धारा 6, 7, 8, 10, 11, (1) 12, 14, 17, 18 और 19 में प्रावधित विधि के अनुसार ही किया जावेगा;

और उपर्युक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (3) के परन्तुक (प्रोविसो) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन अनुसरण राजस्थान सरकार पूर्वोक्त जांच और अभिलेखन होने तक एतद्द्वारा कथित वन-भूमि और बन्जर-भूमि को संरक्षित वन घोषित करती है, परन्तु इससे व्यक्तियों अथवा वर्गों के वर्तमान अधिकारों में कमी नहीं होगी और न उन पर कोई अभाव पड़ेगा;